न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – भारती भारद्वाज आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 80/2019

1. लज्जाराम वर्ष पुत्र सुखराम । जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम फिरोजपुर
2. शंकर पुत्र सुखराम । तहसील व जिला धौलपुर
3. दिवारीलाल पुत्र बालकिशन ।
4. गोकुलसिंह पुत्र बालकिशन । – – – – प्रार्थीगण

बनाम

1. पोखनसिंह पुत्र दाताराम जाति लोधा निवासी ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर
2. श्रीमान् तहसीलदार महोदय धौलपुर वहैसियत भूमि धारक – – – – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251 (क) राज0 काश्त0 अधिनियम 2012

उपस्थितिः– श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
श्री दीनदयाल शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय दिनांक – 25.04.2022

प्रार्थीगण की ओर से आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर 312 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा बाकै ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर की खातेदार काश्तकार है, कुछ भू– भाग में पशु पालन हेतु पशुवाडा निर्मित है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 312 पर काबिज 312 पर काबिज होकर फसल प्राप्त कर रहे है एवं पशुपालन कर रहे है। आराजी खसरा नम्बर 301 रकबा 4 विस्वा बाकै ग्राम फिरोजपुर का अभिलिखित खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 है। आराजी खसरा नम्बर 302 रकबा 1 विस्वा बाकै ग्राम फिरोजपुर सरकारी भूमि है। आराजी खसरा नम्बर 299 बाकै ग्राम फिरोजपुर गैर मुमकिन रास्ता भूमि है। खसरा नम्बर 312 के दक्षिण दिशा में रास्ता खरंजा 12 फुट चोड़ा व खसरा नम्बर 301 व 302 तदोपरान्त खसरा नम्बर 299 गैर मुमकिन रास्ता भूमि है तथा खसरा नम्बर 312 की पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 313 व खसरा नम्बर 314, 315 बाकै ग्राम फिरोजपुर स्थित है तथा खसरा नम्बर 312 की उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 310 बाकै ग्राम फिरोजपुर स्थित है। तथा खसरा नम्बर 312 की पूर्व दिशा में खरंजा आर0सी0सी0 12 फुट चोडा तदोपरान्त खसरा नम्बर 303 व 311 बाकै ग्राम फिरोजपुर स्थित है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 312 में आवागमन हेतु हमेशा से खसरा नम्बर 301 व 302 की भूमि का उपयोग उपयोग करते आ रहे है। खसरा नम्बर 299 गैर मुमकिन रास्ता भूमि खसरा नम्बर 312 के लिए सबसे नजदीकी रास्ता है। तथा खसरा नम्बर 299 के अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 299 से प्रार्थीगण खसरा नम्बर 301 व 302 में होकर खसरा

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

नम्बर 312 पर पहूँचते है, मौके पर खसरा नम्बर 301 व 302 में रास्ते हेतु मिट्टी पडी हुई है तथा मौके पर कच्चा रास्ता निर्मित है तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने वर्तमान में खसरा नम्बर 312 पर आवागमन हेतु रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है तथा वे खसरा नम्बर 312 व 301, 302 की मध्य की मेढ पर पुख्ता दीवार निर्माण करना चाहते है व प्रार्थीगण के मौके पर स्थित रास्ते को दीवाल बनाकर समाप्त करना चाहते है। प्रार्थना पत्र दायरी से 10 दिन पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने उददेश्य की पूर्ति में खसरा नम्बर 301, 303 के मध्य की मेढ पर पुख्ता दीवाल का निर्माण कर दी है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 301, 302, 312 की मध्य की मेढ पर पुख्ता निर्माण करने की प्रार्थीगण को धमकी दी है तथा प्रार्थीगण को मौके पर आवागमन करने से मना कर दिया है तथा आवागमन करने की स्थिति में प्रार्थीगण को जान से मारने की धमकी दी है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने उददेश्य मे सफल हो गया तो प्रार्थीगण का रास्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जावेगा। तथा प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य का खसरा नम्बर 312 रास्ता रहित जेल (कारागृह) में तब्दील हो जावेगा तथा प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति पहूँचने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थीगण को आराजी खसरा नम्बर 312 पर खसरा नम्बर 299 से आवागमन करने हेतु खसरा नम्बर 301 व 302 में रास्ता हेतु रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। उन्होने कथन किया कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 312 में किसी भी प्रकार की फसल पैदा नहीं कर रहे है। खसरा नम्बर 299 बाकै ग्राम फिरोजपुर तहसील धौलपुर में आम रास्ता है। प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 312 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 301 की भूमि का उपयोग उपभोग करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। खसरा नम्बर 301 में होकर कोई रास्ता मौके पर नहीं है, ना कभी रहा। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 312 में झोपडी, टीनशैड, मकानात, कमरे आदि बने हुए है। उनके लिए रास्ता 12 फुट चौडा खरन्जा उनके मकानों के सामने बना हुआ है। जिसमें होकर सायलान खसरा नम्बर 300 व 313 के मध्य स्थित कच्चा रास्ता से होकर आम रास्ता खरन्जा खसरा नम्बर 299 तक पहूँचते है जो कि पिछले सैकडो वर्षो से कायम रहा है और आज भी चालू है। इसी कच्चा रास्ता से सरकारी विद्युत लाईन निकली हुई है। विद्युत लाइन के खम्भे भी इसी कच्चे के दोनो उत्तरी व दक्षिणी सिरों पर कोनों गढे हुए हैं। उक्त कच्चा रास्ता के पश्चिम दिशा में रमेश की तिवारिया खसरा नम्बर 300 में बनी हुई तथा मन्दिर व चबूतरा भी उक्त कच्चे रास्ते के सहारे बने हुए है। और उनका भी यही कच्चा रास्ता कदीमी है। उक्त कदीमी कच्चे रास्ते को एवं उसमें होकर निकली सरकारी विद्युत लाईन को व विद्युत के गढे खम्भों को नक्शा में दर्शाया गया है। केवल बनावटी व झूंठे तथ्य अंकित किये गये है और मौके से भिन्न व गलत वस्तुस्थिति तहरीर की गई है। प्रार्थीगण के मकानों के सामने 12 फुट चौडे खरन्जा के रास्ते को एवं उसमें होकर चल कर खसरा नम्बर 300 व 313 के मध्य स्थित कच्चा रास्ता चालू है। प्रार्थीगण का कोई रास्ता अप्रार्थी के खातेदारी के खसरा नम्बर 301 रकवा 4 विस्वा बाकै ग्राम फिरोजपुर में होकर कभी नहीं रहा है और ना ही मौके पर है खसरा नम्बर 301 में जब मौके पर कोई रास्ता ही नहीं है तो किसी रास्ते को समाप्त करने

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

या ना करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अप्रार्थी के खसरा नम्बर 301 की चारों ओर से 5 फीट ऊँची बाउण्ड्री वॉल मकान बनवाने के लिए बनी हुई है तथा उक्त नम्बर में चारों ओर नीम के पेड पुराने व एक पीपल का पेड खडे हुए हैं भूसा भरने के लिए कई कूप गढे हुए है तथा अपना मकान बनाने के लिए मेटेरियल पडा हुआ है। अप्रार्थी खसरा नम्बर 301 का खातेदार मालिकक है व स्वामी है तथा मौके पर काबिज है और मकान बनाने के लिए अपने स्वामित्व की भूमि मे चारो ओर से बाउण्ड्री वॉल बना रखी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 से जरिये पत्रांक कोर्ट/20/4295 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप में तलब की गई। तहसीलदार धौलपुर ने जरिये पत्रांक राजस्व/2020/313 दिनांक 22.09.2021 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 301 में से 12 X 48 फीट का रास्ता प्रस्तावित है इससे नजदीकी कोई रास्ता नहीं है एवं आराजी खसरा नम्बर 302 जो कि सिवायचक है उसमें से भी 12 फुट चोडा रास्ता प्रस्तावित है आराजी खसरा नम्बर 301 के खातेदार पोखन पुत्र दाताराम जाति लोधा है।

तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी द्वारा आपत्ति पेश कर कथन किया कि रिपोर्ट विधिवत रूप से नियमानुसार तैयार नहीं की है जो कि कम्प्यूटर के द्वारा टाईप शुदा परफोर्मा में ऑफिस में बैठ कर मनमाने तरीके से एकतरफा में तयार की गई है। रिकार्ड पर लिये जाने योग्य नहीं है अप्रार्थी की अनुपस्थिति में तैयार की गई रिपोर्ट में किसी भी प्रकार से मौके का कोई विवरण व वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं की गई है जो काबिली खारिजी है। मौका रिपोर्ट में आवेदकगण के द्वारा किये गये कथनों को ही अंकित किया गया है जो मौका रिपोर्ट के अंश नहीं होते हैं। वक्त मौका निरीक्षण विवादित स्थल की मौके पर क्या स्थिति पायी गयी उसी स्थिति को मौका रिपोर्ट में अंकित करना होता है जबकि मौका रिपोर्ट तारीख 22.09.2021 में आवेदकगण क्या चाहते हैं या आवेदकगण की ओर से क्या प्रस्तावित है। इस प्रकार के कथनों को नहीं किया जा सकता। तथाकथित मौका रिपोर्ट गैरकानूनी होने से स्वीकार नहीं की जा सकती है। मौके पर जो वस्तु स्थिति होती है उसे ही मौका रिपोर्ट में कमिश्नर को अंकित करना होता है। भूतकाल या भविष्य की कोई सम्भावना मौका रिपोर्ट का अंश नहीं हो सकती। इस प्रकार की रिपोर्ट गैरकानूनी है। मौका कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में साक्ष्य एकत्रित करने का काम किया है जबकि मौका कमिश्नर साक्ष्य एकत्रित करने के लिय नहीं कराया जाता है। मौके पर क्या पाया वही वस्तुस्थिति मौका रिपोर्ट में आनी चाहिए। मौका कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में आवेदकगण के दावे को इस प्रकार का समर्थन किया है कि मौका कमिश्नर ही प्रकरण का निर्णय दे रहा हो और न्यायालय श्रीमान जी को विवेक का उपयोग भी नहीं करना है। तो क्या कमिश्नर अपना कोई मत या आदेश दे सकता है। ऐसा कदापि नहीं दे सकता है। आदेश तो न्यायालय श्रीमान् जी को देना है। मौका कमिश्नर ने अपनी मौका रिपोर्ट में व नक्शा में कहीं भी वास्तविकता को नहीं दर्शाया है। मौके पर सरकारी विद्युत की लाइन मौके पर चालू कच्चा रास्ता से निकली हुयी है, रास्तो में ही विद्युत के खम्भे पुराने गढे हुए हैं इस वास्तविक

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)

वस्तुस्थिति को भी नहीं दर्शाया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी ने अपने जवाब के साथ पेश किए गए नक्शे में चालू कच्चे रास्ते को दर्शाया है जिसके सहारे सहारे रमेश की तिवरिया बनी हुयी है, माता का मंदिर बना हुआ है इनका भी रास्ता इसी कच्चे रास्ते से हमेशा से चालू रहा है और आज भी चालू है। इसे भी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में नहीं दर्शाया है। अतः मौका कमिश्नर काबिल खारिजी के है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण ने जबाब आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया कि धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम में मौका कमिश्नर रिपोर्ट का उददेश्य विवादित भूमि पर वैकल्पिक रास्ता को देखना मात्र होता है, यदि कोई रास्ता नहीं है तो उक्त प्रावधान के तहत नियमानुसार रास्ता दिया जायेगा तथा इस प्रकरण में भी कमिश्नर द्वारा मौके की वस्तुस्थिति को ही प्रस्तुत किया गया है। आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार धौलपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.09.2021 पर उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 312 पर आवागमन हेतु प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 301 व सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 302 में से रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है, किन्तु अब अप्रार्थी उक्त रास्ते को बन्द कर रहा है। उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 301 में एंव सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 302 बाकै ग्राम फिरोजपुर में से प्रार्थीगण को रास्ता दिलाये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 300 व 313 के मध्य स्थित कच्चा रास्ता से होकर आम रास्ता खरन्जा खसरा नम्बर 299 तक पहूँचते है जो कि पिछले सैकडो वर्षो से कायम रहा है और आज भी चालू है। इसी कच्चा रास्ता से सरकारी विद्युत लाईन निकली हुई है। विद्युत लाइन के खम्भे भी इसी कच्चे के दोनो उत्तरी व दक्षिणी सिरों पर कोनों गढे हुए हैं। उक्त कच्चा रास्ता के पश्चिम दिशा में रमेश की तिवारिया खसरा नम्बर 300 में बनी हुई तथा मन्दिर व चबूतरा भी उक्त कच्चे रास्ते के सहारे बने हुए है। और उनका भी यही कच्चा रास्ता कदीमी है। उक्त रास्ते का प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 312 पर आवागमन हेतु उपयोग में लेते आ रहे है। और आज भी उपयोग में ले रहे है। आराजी खसरा नम्बर 301 बाकै ग्राम फिरोजपुर के किसी भी भाग का कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग नही हुआ है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 301 मे से 12X48 फीट का रास्ता प्रस्तावित किया है इससे नजदीकी कोई रास्ता नहीं है एवं आराजी खसरा नम्बर 302 जो कि सिवायचक है उसमें से भी 12 फुट चोडा रास्ता प्रस्तावित किया है।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण पनी आराजी खसरा नम्बर 312 बाकै ग्राम फिरोजपुर में कृषि कार्य हेतु आराजी खसरा र 301 एवं 302 बाकै ग्राम फिरोजपुर तहसील व जिला धौलपुर में से 12 फुट चौडा 65 लम्बा रास्ता चाहा गया है, अप्रार्थी का कथन है कि खसरा नम्बर 299 बाकै ग्राम जपुर तहसील धौलपुर में आम रास्ता है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 312 में झोपडी, शैड, मकानात, कमरे आदि बने हुए है। उनके लिए रास्ता 12 फुट चौडा खरन्जा उनके नों के सामने बना हुआ है। जिसमें होकर सायलान खसरा नम्बर 300 व 313 के मध्य । कच्चा रास्ता से होकर आम रास्ता खरन्जा खसरा नम्बर 299 तक पहूँचते है जो कि ले सैकडो वर्षो से कायम रहा है और आज भी चालू है। इसी कच्चा रास्ता से सरकारी त लाईन निकली हुई है। विद्युत लाइन के खम्भे भी इसी कच्चे के दोनो उत्तरी व णी सिरों पर कोनों गढे हुए हैं। उक्त कच्चा रास्ता के पश्चिम दिशा में रमेश की ारिया खसरा नम्बर 300 में बनी हुई तथा मन्दिर व चबूतरा भी उक्त कच्चे रास्ते के रे बने हुए है। और उनका भी यही कच्चा रास्ता कदीमी है। अप्रार्थी संख्या 1 की ाजी खसरा संख्या 301 में से होकर कभी आवागमन नहीं हुआ है।

पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा, तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 312 पर प्रार्थीगण के मकानात, भूखण्ड, झोपडी, शेड, आदि बने हुए है, जो कि प्रार्थीगण द्वारा भी अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शे में दर्शाया गया है। एवं तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के नजरी नक्शे द्वारा आराजी खसरा नम्बर 312 बाकै ग्राम में मकान एवं भूखण्ड बने होने की पुष्टि होती है। सके द्वारा आराजी खसरा नम्बर 312 पर काश्त ना होना प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा ा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है कि वर्तमान में आराजी सरा नम्बर 312 बाकै ग्राम फिरोजपुर पर काश्त की जा रही है। धारा 251 ए राजस्थान श्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत केवल खातेदार कृषक को उसकी आराजी पर काश्त हेतु स्ता दिलाये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम प्रार्थना पत्र र्थीगण खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान ाश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर हस्व ाफ्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(भारती भारद्वाज)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज०)